संख्या- 48/2016/1851/ अड़तीस-5-16-48सम/2016

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषयः राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ एवं अराजीलाइन की 02 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं (कुल लागत रू0 700.03 लाख) की स्वीकृति के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-456 /2042-0072/16, दिनांक 23 नवम्बर, 2016, तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या- 553/डब्लू-335/ टेक/रा0पे0/ 2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के माध्यम से राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में **जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ एवं अराजीलाइन की 02 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं** के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणानुसार कुल लागत रू0 700.03 लाख की धनराशि की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात रू 280.01 लाख (रूपये दो करोड अस्सी लाख एक हजार मात्र) की धनराशि राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.	विकास खण्ड	ग्रामीण पेयजल योजना	अनुमोदित/ स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	काशी विद्यापीठ	चितईपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	390.08	156.03
2	अराजीलाइन	भतसार ग्रामीण पेयजल योजना	309.95	123.98
		योग	700.03	280.01

1. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत 02 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-1183/अडतीस-5-2016-27सम/2012, दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा जारी राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।
2. उपर्युक्त स्वीकृति के अनुसार 02 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को रू 280.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय स्वीकृति की सीमा तक सीमित होगा।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना / योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।
5. प्रश्नगत कार्य के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजना / कार्य के विस्तृत आगणन का कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
7. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तद्नुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8. **कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री / उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।**
9. **परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।**
10. **स्वीकृत परियोजना / कार्य में द्विरावृति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जाय।**
11. **निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों / मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा कराये गये कार्यो का अलग से लेखा-जोखा रखा जायेगा । अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।**
12. **अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।**
13. **नियमानुसार यथावश्यक समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ् किया जायेगा।**
14. **राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों / मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना--- 05- राज्य ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः48/2016/1851 (1)/अड़तीस-5-16, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।**
2. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।**
3. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।**
4. **महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।**
5. **अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।**
6. **जिलाधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।**
7. **प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।**
8. **मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।**
9. **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।**
10. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
11. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।**
12. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।